कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/656/पीए/ 2020/ इन्दौर,दिनांक 18.06.2020

//संशोधित आदेश//

(The Epidemic Disease Act, 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत)

(राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने पर परीक्षा प्रकिया से वंचित नहीं करने के संबंध में संशोधित आदेश)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 639/पीए/2020 इन्दौर, दिनांक 12–6–2020 द्वारा राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने पर परीक्षा प्रकिया से वंचित नहीं किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं तथा इसका पालन किए जाना सभी के लिए बाध्यकारी होगा :–

1– यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति के पात्र छात्र–छात्राओं के लिए यह बंधनकारी होगा कि वे छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर उसे ट्यूशनय फीस के रूप में अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएंगे।

JUL 2020

2– यह कि केवल अंतिम सेमेस्टर के ऐसे छात्र–छात्राओं के लिए जिन्हें छात्रवृत्ति की प्रकिया के चलते छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होने पर संबंधित महाविद्यालय में ट्यूशन फीस जमा नहीं करवा पाए हैं, उनसे महाविद्यालय एक सादे कागज पर अथवा मेल द्वारा यह वचन–पत्र लेंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर तत्काल उसे वे महाविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर की ट्यूशन फीस जमा करवाएंगे तथा इस अभिवचन के आधार पर संबंधित महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय को परीक्षा फार्म अग्रेषित करेंगे। उक्त उल्लेखित दोनो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से यह अनुरोध है कि वे इस आदेश के तारतम्य में केवल अंतिम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थियों का परिणाम मूल प्रति में संबंधित

महाविद्यालय को भेजेंगे ताकि संबंधित महाविद्यालय अंतिम सेमेस्टर के ऐसे छात्रों से ट्यूशन फीस जमा करवा कर परीक्षा परिणाम दे सकेंगे।

3– इन्दौर जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) श्री रविन्द्र कुमार जैन मोबाईल नंबर 8989641892 को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त दोनों विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा उन्हे केवल अंतिम सेमेस्टर के ऐसे छात्रों की सूची मय बैंक विवरण के प्रस्तुत की जावेगी एवं वे बैंक से यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्त होते ही वे प्रथमत: इन महाविद्यालयों की ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की जावेगी।

4– उक्त उल्लेखित शर्तों का पालन करते हुए उक्त दोनों विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्याल यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अंतिम सेमेस्टर मे परीक्षार्थी को उसे छात्रवृत्ति मिलने मे विलम्ब होने से उसे परीक्षा फार्म को संबंधित विश्वविद्यालय में अग्रेषित करने मे विलम्ब न किया जावे। महाविद्यालयों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि समस्त अंतिम सेमेस्टर के परीक्षार्थी अनिवार्यत: परीक्षा दे सकें एवं उन्हे कोई असुविधा न हो।

यह भी कि उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर **National Disaster Management Act- 2005** एवं **The Epidemic Disease Act, 1897** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा जो मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 18–6–2020 को जारी किया गया।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.